

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234588
SG-DL-E-29032022-234588असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 579
No. 211]	DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944	[N. C. T. D. No. 579

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (गृह रक्षक) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2022

फा.सं. 1/03/2022/गृ0रक्ष0/799.811.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित बम्बई गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- नियम 8 में संशोधन :- दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में, दसवें परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

“यह भी उपबंधित है कि 31 मार्च 2022 को सेवारत गृह रक्षक स्वयं सेवकों (जो 31 मार्च 2022 से 31 मार्च, 2023 के दौरान कार्यमुक्त किये जाने हैं) का कार्यकाल 31 मार्च, 2023 तक या नए नामांकन होने, इनमें से जो भी पहले

हो, तक बढ़ाया जायेगा, बशर्ते यह उनके संतोषजनक सेवा रिकार्ड, कार्य अवधि के दौरान गृह रक्षक के रूप में सामान्य आचरण और उनके शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होने के अधीन होगा।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विवेक कुमार नरेश, उप-सचिव (गृह)

टीप : मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959, सं0फा0 4/59-सी.डी. दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशित हुए थे तथा मूल नियम के नियम 8 में निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए :

1. अधिसूचना संख्या फाइल 1/16/07/होम गार्ड/8301-8349, दिनांक 1 जुलाई, 2008
2. अधिसूचना संख्या फाइल 1/16/07/होम गार्ड/5409, दिनांक 24 दिसंबर, 2013
3. अधिसूचना संख्या फाइल 1/24/2014/होम गार्ड/1297-1306, दिनांक 4 मार्च, 2014
4. अधिसूचना संख्या फाइल 1/24/2014/होम गार्ड/1385-1394, दिनांक 30 मार्च, 2015
5. अधिसूचना संख्या फाइल 1/100/2015/होम गार्ड/757, दिनांक 15 फरवरी, 2016
6. अधिसूचना संख्या फाइल 1/41/2017/होम गार्ड/6607-6618, दिनांक 29 नवंबर, 2017
7. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/1016-1028, दिनांक 27 फरवरी, 2019
8. अधिसूचना संख्या फाइल 1/28/2019/होम गार्ड/5840-5852, दिनांक 3 अक्टूबर, 2019
9. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/1413-1425, दिनांक 27 मार्च, 2020
10. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/977-989, दिनांक 7 अप्रैल, 2021
11. अधिसूचना संख्या फाइल 1/28/2019/होम गार्ड/1230-1242, दिनांक 23 जून, 2021

HOME (HOME GUARD) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th March, 2022

F. No.F.1/03/2022/HG/799-811.— In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947, as extended to National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules, 1959, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Delhi Home Guards (Amendment), Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment of rule 8.** In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in Rule 8, after the tenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the tenure of Home Guard Volunteers on roll as on 31st March, 2022 (and due for discharge between the period 31st March, 2022 to 31st March, 2023) may be extended up to 31st March, 2023 or till the time fresh enrolment takes place, whichever is earlier subject to satisfactory service records, general conduct as Home Guards during the tenure and also subject to physical fitness”.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIVEK KUMAR NARESH, Dy Secy., Home

Note: The principal rule were published in Part-IV in the Delhi Gazette Extraordinary dated the 20th July, 1959, F.No.4/59-C.D. and amendments were made in Rule 8 of the Principal rule vide following Notifications:

1. Notification No.F.1/16/07/HG/8301-8349, dated 1st July, 2008.
2. Notification No.F.1/16/07/HG/5409, dated 24th December, 2013.

3. Notification No.F.1/24/2014/HG/1297-1306, dated 4th March, 2014.
4. Notification No.F.1/24/2014/HG/1385-1394, dated 30th March, 2015.
5. Notification No.F.1/100/2015/HG/757, 15th February, 2016.
6. Notification No.F.1/41/2017/HG/6607-6618, dated 29th November, 2017.
7. Notification No.F.1/02/2019/HG/1016-1028, dated 27th February, 2019.
8. Notification No.F.1/28/2019/HG/5840-5852, dated 3rd October, 2019.
9. Notification No.F.1/02/2019/HG/1413-1425, dated 27th March, 2020.
10. Notification No.F.1/02/2019/HG/977-989, dated 7th April, 2021.
11. Notification No.F.1/28/2019/HG/1230-1242, dated 23rd June, 2021.